



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]

दिल्ली, शनिवार, जुलाई 29, 2017/श्रावण 7, 1939

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 185

No. 287]

DELHI, SATURDAY, JULY 29, 2017/SRAVANA 7, 1939

[N.C.T.D. No. 185]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 जुलाई, 2017

सं. फा. 30(405)/नियम में संशोधन—एमएडब्ल्यूपीएससी 2007/डीडी (एसएस)/डीएसडब्ल्यू/2015—16/11684—11712.—भरण—पोषण तथा माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2 के खंड (i) के साथ पठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिल्ली भरण—पोषण तथा माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण नियमावली, 2009 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ—(1) इन नियमों को दिल्ली भरण—पोषण तथा माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण (संशोधन), नियमावली, 2017 कहा जायेगा।
(2). ये दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- दिल्ली भरण—पोषण तथा माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण नियमावली, 2009 में, नियम 22 के उप—नियम (3) के खंड (i) एवं (iv) के स्थान पर् निम्नलिखित को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा—
(i) वरिष्ठ नागरिक अपनी भरण पोषण वंचना तथा दुर्व्यवहार के कारण अपने पुत्र और पुत्री या कानूनी वारिस को उसकी किसी भी प्रकार की संपत्ति चाहे चल या अचल, पैतृक या स्व—अर्जित, मूर्त या अमूर्त तथा इन संपत्तियों में अधिकार या हित भी शामिल है, से बेदखल करने के लिए अपने जिले के उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है।

(iv) उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट संक्षिप्त कार्यवाही के दौरान वरिष्ठ नागरिक/ माता-पिता को संरक्षण प्रदान करने के लिए उक्त अधिनियम के सभी संबंधित प्रावधानों पर विचार करेगा। यदि उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट का मत है कि पुत्र या पुत्री या कानूनी वारिस वरिष्ठ नागरिक/माता-पिता का भरण पोषण वंचना तथा दुर्व्यवहार करते हैं और तब भी वरिष्ठ नागरिक की किसी भी प्रकार की संपत्ति चाहे चल या अचल, पैतृक या स्व-अर्जित, मूर्त या अमूर्त तथा इन संपत्तियों में अधिकार या हित भी शामिल है, पर काबिज है और उन्हें बेदखल किया जाना चाहिए तो उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट यहां आगे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार एक लिखित नोटिस सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजगा कि उनके खिलाफ बेदखली का आदेश पारित कर्यों न किया जाए, इसका कारण बताएं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, सचिव (समाज कल्याण)

SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 28th July, 2017

F. No. 30(405)/Amendment of Rules-MAWPSC 2007/DD (SS)/DSW/2015-16/11684-11712.—In exercise of the powers conferred by section 32 read with clause (i) of section 2 of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to amend the Delhi Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules 2009, namely:-

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called The Delhi Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. In the Delhi Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules, 2009 in rule 22 in sub-rule (3), for clauses (i) and (iv), the following shall be substituted respectively, namely :-
(i) A senior citizen/parents may make an application before the Deputy Commissioner/District Magistrate of his district for eviction of his son and daughter or legal heir from his property of any kind whether movable or immovable, ancestral or self acquired, tangible or intangible and include rights or interests in such property on account of his non-maintenance and ill-treatment.
(iv) The Deputy Commissioner/ District Magistrate during summary proceedings for the protection of senior citizen parents, shall consider all the relevant provisions of the said Act. If the Deputy Commissioner/ District Magistrate is of opinion that any son or daughter or legal heir of a senior citizen/parents is not maintaining the senior citizen and ill treating him and yet is occupying the property of any kind whether movable or immovable, ancestral or self acquired, tangible or intangible and include rights or interests in such property of the senior citizen, and that they should be evicted. The Deputy Commissioner/ District Magistrate shall issue in the manner hereinafter provided a notice in writing calling upon all persons concerned to show cause as to why an order of eviction should not be issued against them/him/her.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Secy. (Social Welfare)